बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।

(आम सूचना)

बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010 के तहत 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों के नियुक्ति के क्रम में अवशेष रिक्त 2413 पदों पर नियुक्ति के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 17899/2012 (कांति कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) एवं समरूप मामलों में दिनांक 15.01.2014 तथा एल0पी0ए0 संख्या 1491/2014 (विजेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) एवं समरूप मामलें में दिनांक 24.03.2015 को पारित आदेश के आलोक में गठित द्विसदस्यीय समिति द्वारा नियुक्ति के क्रम में पूर्व में आहूत कांउसिलिंग के दौरान जिला द्वारा संसूचित अमान्य 118 अभ्यर्थियों एवं विभिन्न कारणों से लंबित रखे गये 366 अभ्यर्थियों के स्क्रूटनी किया गया। स्क्रूटनी के पश्चात् जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थित्व मान्य/योग्य पाया गया है को काउन्सेलिंग करने हेतु अनुशंसा की गयी है। इससे संबंधित समिति की कार्यवाही विभागीय पत्रांक 821 दिनांक 17.07.2015 को विभागीय वेबसाईट (www.educationbihar.gov.in) पर देखा जा सकता है।

2. स्क्रूटनी के पश्चात् प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा दी गयी अनुमोदन के आलोक में निम्नांकित अभ्यर्थियों के मूल कागजातों का भौतिक सत्यापन कराये जाने का निर्णय लिया गया :–

क्रमांक	अनुसंशित जिला का नाम	अभ्यर्थी का नाम
1.	किशनगंज	नौशाद आलम साद
2.	मधेपुरा	श्री रामकृष्ण विद्यार्थी
3.	भागलपुर	अखलाक हुसैन
4.	औरंगाबाद	श्री अनिल कुमार
5.	जहानाबाद	श्री श्याम कुमार सिंह
6.		श्री कारू रविदास
7.		श्री कृष्ण कुमार सिंह
8.	बाँका	कुमारी सुनीता
9.		श्री दिलीप कुमार
10.	नालन्दा	श्री अरविन्द कुमार

3. उक्त अभ्यर्थीगण नियुक्ति से संबंधित सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की मूल प्रति तथा एक–एक फोटोग्राफ के साथ दिनांक 28.07.2015 को पूर्वाहन 9:00 बजे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में द्विसदस्यीय समिति के समक्ष उपस्थित होकर प्रमाण पत्रों के सत्यापन में सहयोग करेंगे ताकि नियुक्ति हेतु अनुशंसा के निमित्त आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

4. उक्त भौतिक सत्यापन के उपरांत जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी उनके लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कांउसिलिंग की तिथि दिनांक 01.08.2015 निर्धारित की जाती है। इस तिथि को 2413 अभ्यर्थी अन्तर्गत वैसे अभ्यर्थी जिनकी अनुशंसा सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु की गयी थी और पूर्व में निर्धारित कांउसिलिंग तिथियों पर वे अनुपस्थित थे, को अंतिम रूप से दिनांक 01.08.2015 को जिला स्तर पर आहूत होने वाले कांउसिलिंग में सम्मिलित होने का अंतिम अवसर दिया जाता है। इसके पश्चात् पुनः काउंसेलिंग हेतु मांग पर विचार नहीं किया जाएगा और इस हद तक नियुक्ति की प्रक्रिया को समाप्त माना जाएगा।

5. नियुक्ति संबंधित उक्त निदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उक्त विषयक दायर विशेष अनुमति याचिका के फलाफल से प्रभावी होगा।

20/7/15